हिन्दुस्तान

Tue, 30 Sep 2025; daily - Hindustan - Delhi;
Size: 413.2 sq. cm.; Circulation: 238900; Page: 8

डीएनडी डेवलपर से भुगतान पर रोक

अदालत से

- नोएडा के आउटडोर विज्ञापन विभाग की ओर से जारी पत्र पर अंतरिम रोक लगाई गई

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसमें डीएनडी फ्लाईवे के डेवलपर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से कथित विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

अदालत ने 25 सितंबर के अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार है और सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में है। यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम आदेश नहीं दिए जाते हैं, तो इससे याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नोएडा के आउटडोर विज्ञापन विभाग द्वारा जारी पत्र पर अंतरिम रोक लगा दी। इसमें कथित तौर पर दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाईवे पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित विज्ञापनों को हटाने के लिए भी कहा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को करेगा।

अदालत ने कहा कि 10 सितंबर के पत्र को लेकर अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादी ने उसे डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की ओर एक निश्चित दर पर आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार दिया गया था।